

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.4(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2025

जयपुर, दिनांक : 27 मार्च, 2025

परिपत्र

विषय :- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26।

राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2025-26 की आय-व्ययक अनुदान मांगों को चर्चा उपरान्त स्वीकृत कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार आय-व्ययक अनुमानों में अंकित की गई राशि की सीमा तक संबंधित अनुदानों का निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए IFMS के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियमानुसार उपयोग कर सकते हैं :-

1- स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा की अनुपालना:-

(i) लोक वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की समान गति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विभागों द्वारा संबंधित बजट मदों के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में समानुपाती व्यय सुनिश्चित किया जावे।

(ii) जिन मामलों में प्रावधान नवीन सेवा हेतु स्वीकृत किए गए हैं या जिनमें प्रावधान बजट निर्णायक समिति (BFC) की बैठक में पत्रावली पर सहमति की शर्त पर प्रस्तावित किए गए हैं अथवा विभिन्न घोषणाओं की अनुपालना में नवीन वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है, उन मामलों में वित्त (व्यय) विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही व्यय किया जाना है। इस हेतु नियंत्रण अधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के संबंधित व्यय अनुभाग को प्रकरण संस्वीकृति हेतु अवश्य प्रेषित करें। पत्रावली पर सहमति की शर्त पर प्रस्तावित प्रावधानों के संबंध में वित्त (व्यय) विभाग की सहमति उपरान्त ही वित्त (बजट) विभाग द्वारा ये प्रावधान ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाएंगे।

(iii) वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी लेखा शीर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों को अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation) केवल पुनर्विनियोजन (Reappropriation) अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand) के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्विनियोजन हेतु बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमति ली जावे।

(iv) केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि मद में प्रावधित राशि व्यय की जावे।

(v) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जायें जब भुगतान करने की आवश्यकता हो। बजट अनुदान को व्यपगत (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा नहीं किया जावे।

2- नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति:-

(i) दिनांक 01.04.2021 के पश्चात् सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों, बजट घोषणाओं/वित्त विभाग की सहमति से नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित राजकीय विभाग सेवा नियम के अनुसार भर्ती/नियुक्ति कर सकेंगे और चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्ययोजना तैयार करेंगे जिससे किसी भी कार्मिक/अधिकारी के पद रिक्त होने पर कार्मिक उपलब्ध हो सके।

(ii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं विशेष योग्यजन के लिए सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगी।

3- राजकीय भवन निर्माण :-

(i) नवीन भवन निर्माण कार्य, भवन परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.7.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, वन विभाग इत्यादि कार्यान्वयन में मितव्ययता बरतेंगे और अपने स्तर से निर्माण कार्यों में मितव्ययता बरतने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान :-

व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाना अपेक्षित हैं, समायोजन द्वारा भुगतान की जाने वाली देयताओं का पूरा लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय स्वीकृत प्रावधान को ध्यान में रखकर ही किया जाये।

5- राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना :-

सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना में यह सुनिश्चित करें कि दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी।

6- वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का सरलीकरण :-

वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर सुगम बनाने के संबंध में जारी बजट प्रक्रिया, प्रबंधन एवं उपयोग संबंधी परिपत्र क्रमांक प.4(19)वित्त-1(1)आ.व्य./2024 दिनांक 30.08.2024 एवं इसके पश्चात् समय-समय पर जारी परिपत्रों में वर्णित समस्त निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करावें।



(अखिल अरोरा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
11. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त(बजट)

[०५/2025]